न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 05/2020

अनवान : –

1. ईशरदास पुत्र जगमाल जाति जाट निवासी गंगोई तहसील नोहर।

–प्राथी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 21 ए
नियमन राज0 उप0 अधिनियम
(आवंटन व विक्रय नियम) 1975

उपस्थिति :– श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता **प्रार्थी**
राजपेरोकार

निर्णय **दिनांक:** 10/06/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा गंगोई तहसील नोहर के खाता सं. 1 के ख.न. 107 की 20.682 हैक्टर भूमि गै.मु. स्थित है जिस पर प्रार्थी काबिज काश्तकार है। गत पैमाईश रोही मौजा गंगोई तहसील नोहर के साबिका ख. न. 55 मीन, 47 मीन, 96/56, 53 मीन व 89 मीन के हाल ख.न. 107 की 81 बीघा 15 बिस्वा भूमि में तब्दील व पैमुद हो गई।

रोही मौजा गंगोई तहसील नोहर के साबिका ख.न. 55 में सम्बत 2011 में प्रार्थी की कब्जा काश्त खसरा गिरदावरी में दर्ज है ख.न. 47 में सम्बत 2011 में प्रार्थी की काश्त दर्ज है। तथ ख.न. 47 व ख.न. 55 में सम्बत 2020, सम्बत 2021 व सम्बत 2022 व सम्बत 2023 में काश्त दर्ज है। तथा उक्त भूमि प्रार्थी की खुद काश्त है। उक्त भूमि आज भी बदस्तुर प्रार्थी के कब्जा काश्त है। वाद भूमि के उतर में शेरसिंह पुत्र पोकरराम का खेत एवं दक्षिण में अमरसिंह जाति जाट व अगुणा पासा में सुगनाराम नायक, पन्नाराम नायक, व नंदराम भाम्भु व जुगलाल पुत्र दानाराम का खेत है तथा हरिसिंह राजपुत का भी खेत है प्रार्थी ने उक्त खेत के चारो और अपनी कदिम्बी सींव डोल कायम कर रखी है तथा प्रार्थी उक्त भूमि में मय ढाणी के आबाद है। प्रार्थी के उक्त भूमि कब्जा काश्त में सम्बत 2011 से लेकर आजतक रही है तथा विभिन्न खसरा गिद्दा, वरी सम्बत 2024 से सम्बत 2026 व 2020, 2021, व 2023 में दर्ज काश्तकार रहा है प्रार्थी का उक्त भूमि का नियमन अपने पक्ष में करवापाने का अधिकारी है।

वर्तमान में राही मौजा गंगोई तहसील नोहर के खाता सं. 1 के ख.न. 107 की 20.682 हैक्टर भूमि जो कि गै.मु. वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज हे उक्त भूमि सम्बत 2011 से लेकर आज तक प्रार्थी के बदस्तुर कब्जा काश्त में दर्ज रही है। परन्तु उक्त भूमि गै.मु. दर्ज रहने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारो पर विपरित प्रभाव पड़ता है तथा भूमि सुधार हेतु कृषि ऋण आदि लेने व सबसीडी खाद, बीज. लेने में असमर्थ है जबकि प्रार्थी का वाद भूमि पर कायम है प्रार्थी ने उक्त भूमि की सींव डोल कायम करके उक्त भूमि को कृषि योग्य बना रखा है। वर्तमान में प्रार्थी की ग्वार व बाजारा की फसल बोई हुई है। तथा उक्त भूमि की कब्जा काश्त के आधार पर नियमन अपने पक्ष में करवा पाने का अधिकारी है।

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर राही मौजा गंगोई तहसील नोहर के खाता सं. 1 के ख.न. 107 की 20.682 हैक्टर भूमि का नियमन प्रार्थी के पक्ष में किया जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 पेरोकार राज उक्त भूमि से संबंधित अन्य प्रकरण ईशरदास बनाम सरकार राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 की धारा 88 मे जवाब पेश किया जा चुका है। इसलिए उक्त पत्रावली में जवाब लिया जाना आवश्यक नही है।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया रोही मौजा गंगोई तहसील नोहर के साबिका ख.न. 55 में सम्बत 2011 में प्रार्थी की कब्जा काश्त खसरा गिरदावरी में दर्ज है ख.न. 47 में सम्बत 2011 में प्रार्थी की काश्त दर्ज है। तथ ख.न. 47 व ख.न. 55 में सम्बत 2020, सम्बत 2021 व सम्बत 2022 व सम्बत 2023 में काश्त दर्ज है। तथा उक्त भूमि प्रार्थी की खुद काश्त है। उक्त भूमि आज भी बदस्तुर प्रार्थी के कब्जा काश्त है। वाद भूमि के उतर में शेरसिंह पुत्र पोकरराम का खेत एवं दक्षिण में अमरसिंह जाति जाट व अगुणा पासा में सुगनाराम नायक, पन्नाराम नायक, व नंदराम भाम्भु व जुगलाल पुत्र दानाराम का खेत है तथा हरिसिंह राजपुत का भी खेत है प्रार्थी ने उक्त खेत के चारो और अपनी कदिम्बी सींव डोल कायम कर रखी है तथा प्रार्थी उक्त भूमि में मय ढाणी के आबाद है। प्रार्थी के उक्त भूमि कब्जा काश्त में सम्बत 2011 से लेकर आजतक रही है तथा विभिन्न खसरा गिद्दा, वरी सम्बत 2024 से सम्बत 2026 व 2020, 2021, व 2023 में दर्ज काश्तकार रहा है प्रार्थी का उक्त भूमि का नियमन अपने पक्ष में करवापाने का अधिकारी है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा रोही मौजा गंगोई तहसील नोहर के खाता सं. 1 के ख.न. 107 की 20.682 हैक्टर भूमि में से प्रार्थी 8.855 हैक्टर भूमि को गै0मु0 से अपने नाम नियमन करवाने हेतु यह प्रार्थना पेश किया गया है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा गंगोई तहसील नोहर के ख.न. 107 की 20.682 हैक्टर भूमि में से 8.855 हैक्टर गै0मु0 दर्ज है। राजपेरोकार द्वारा प्रस्तुत जवाब के मुताबिक उक्त भूमि गै0मु0 जोहड़ पायतन दर्ज है मौके पर सघन वृक्षारोपण है जो वन विभाग द्वारा किया गया है उक्त खसरो पर प्रार्थी द्वारा कभी भी काश्त नही किया गया है अत उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी उक्त भूमि का नियमन करवा पाने का अधिकारी नही है। अत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबूतों के अभाव में एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक ....10/06/26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हों।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर